न्यायालय- आनंद कुमार सिंह , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

// संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2026, रायपुर, दिनांक 21.08.2026

मैं, **आनंद कुमार सिंह ,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.) पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2)** में प्रदत्त प्रावधानों के तहत राजस्व जिला रायपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी को माननीय उच्च् न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर की शक्तियां प्रदान किये जाने तथा कार्य विभाजन आदेश के पश्चात अन्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी की पदस्थापना व न्यायालय रिक्त होने के आधार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के वरिष्ठता के आधार पर संशोधन किया जा रहा है, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01.	02.	03.	4
01.	**आनंद कुमार सिंह , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **(1) सिविल लाईन (2) तेलीबांधा (3) माना (4) राखी (5) खमतराई (6)रेंजसायबर थाना (7)राज्य स्तरीय सायबर थाना**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** थाना यातायात एवं आर.टी.ओ. रायपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **03.** माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 1576/तीन-6/2001, बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार सिविल जिला रायपुर से उत्पन्न :- (a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (b) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 (c) कम्पनी अधिनियम 1956 (d) धनकर अधिनियम 1957 (e) दानकर अधिनियम 1958 (f) आयकर अधिनियम 1961 (g) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (h) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (i) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 (j) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 (k) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **04.** राजस्व जिला रायपुर के नगर पालिका निगम से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **05.** राजस्व जिला रायपुर से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

			06. राजस्व जिला रायपुर के अंतर्गत स्थित समस्त आबकारी वृत्तों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **07.** राजस्व जिला रायपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के मामलों से संबंधित समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **08.** राजस्व जिला रायपुर अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। **09.** राजस्व जिला रायपुर मुख्यालय के सभी आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **10.** राजस्व जिला रायपुर से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। **11.** आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **12.** राजस्व जिला रायपुर के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत् संस्थित प्रकरणों का निराकरण करना। **13.** ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य वितरण आदेश में न हो, का निराकरण करना। **14.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
02.	**श्री मोहम्मद जहांगीर तिगाला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. विधानसभा** **2. गोलबाजार**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

03.	**कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. महिला थाना** **2.अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **महिला थाना** से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना** से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-15-1/92, रायपुर, दिनांक 01 सितम्बर , 2025 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 354 क से घ तक एवं 509 **(वर्तमान में प्रचलित भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 से 79 के मामले)** तथा प्रसव पूर्व गर्भाधान, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध), अधिनियम, 1994 (Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना। **06.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-02-01/2008, रायपुर, दिनांक 01 सितम्बर 2025 के अनुसार सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 4 के अंतर्गत सेरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे की जनकता एवं उसके अभिरक्षा से संबंधित प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के तहत् उत्पन्न होने वाले अपराधों के निराकरण करने हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना। **07**.कार्य विभाजन आदेश दिनांक–01.01.2026 के उपरांत संशोधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 7605/तीन–6–7/2000, चेकर, बिलासपुर, दिनांक 10.05.2024 के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार

			निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक–49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु **(सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी** के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों का निराकरण करना, **08.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
04.	**श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**कबीर नगर राजेन्द्र नगर**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **खमतराई** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **03.** आरक्षी केन्द्र **खमतराई** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।**
05.	**श्री मयंक सोनी , विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का

			निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 17126/तीन-6-1/2000, बिलासपुर, दिनांक 23.08.2025 के अनुसार रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जाँच एवं विचारण के लिए आबंटित क्षेत्राधिकार के तहत प्रकरणों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
06.	**कु. आकांक्षा बेक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1.पुरानी बस्ती 2. मुजगहन**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **03.** आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
07.	**कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय	**01.** आरक्षी केन्द्र **पंडरी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण (अन्य दांडिक कार्य जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य**

			न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। **03.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
08.	**श्री सुरेश टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	----------	**01.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
09.	**श्रीमती कामिनी वर्मा , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**प्रधान किशोर न्याय बोर्ड**	**01.** माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्र. 17563/तीन-6-5/16 (जे.जे.सी-59), बिलासपुर, दिनांक 29.08.2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-5/2023/.मबाबि./50, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25.08.2025 के अनुसार किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत् पीठासीन अधिकारी को **प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर** नामित किये जाने के फलस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड रायपुर में लंबित, प्रस्तुत एवं पंजीबद्ध होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना। **02.**माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
10	**श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **टिकरापारा, माना,** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
11.	**श्री क्रांति कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **धरसींवा, मंदिर हसौद** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
12	**श्री अजय सिंह मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. टिकरापारा 2. मंदिर हसौद**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **03.** आरक्षी केन्द्र **तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत

			प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
13	**श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. डी.डी. नगर** **2. पंडरी**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **03.** आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
14	**कु. जेनिफर लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**मातृत्व अवकाश**	**01.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
15	**कु श्वेता ठाकुर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **पुरानी बस्ती, मुजगहन, महिला थाना ,** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
16	**श्री प्रवीण कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **मौदहापारा, अभनपुर** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों

			का निराकरण करना।
17	**कु. कृति कुजूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. मौदहापारा 2. धरसींवा**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
18	**श्री विवेक कुमार टण्डन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आरक्षी केन्द्र **1. उरला 2. आमानाका**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **05. <u>रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत समस्त दांडिक कार्यों (परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना।</u>** **06.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
19	**श्री विकास खाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु**	**01.** आरक्षी केन्द्र **आमानाका, राखी, गंज** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

		ईयरमार्क न्यायालय	**02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
20	**कु. दीक्षा देशलहरे , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **डी डी नगर, गोलबाजार** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
21	**श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01**. आरक्षी केन्द्र **खमतराई, उरला** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
22	**कु. मानसी बिष्ट , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र गुढियारी**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
23	**श्री चोलुक्य यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र 1-गंज 2.सिटी कोतवाली**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।

			04. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
24	**कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**गोबरा नवापारा**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
25	**कु. श्रद्धा भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **कबीर नगर खम्हारडीह** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
26	**कु. सुहासिनी ठाकुर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**आजाद चौक**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
27	**कु. पायल मेरावी , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**अभनपुर**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत परिवाद

			एवं धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 04. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
28	**श्री चन्द्रप्रताप सिंह , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन,** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
29	**कु. प्रीति पॉलीवाल , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **तेलीबांधा, सिलतरा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक,मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।
30	**श्रीमती साक्षी खन्ना , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **सरस्वती नगर, गुढियारी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
31	**श्री अर्पित अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	**देवेन्द्र नगर**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत्

			प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
32	**श्री सूरज राणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **राजेन्द्र नगर, विधानसभा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
33	**कु. भावना रिगरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**सरस्वती नगर**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
34	**कु. अंजिता खुटे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **सिटी कोतवाली, गोबरा नवापारा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
35	**श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**खम्हारडीह**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			03. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
36	**कु. रीमा लकडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय**	**01.** आरक्षी केन्द्र **देवेन्द्र नगर, आजाद चौक** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **02.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
37	**कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जिला-रायपुर**	**सिलतरा**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
38	**श्री भावेश कुमार वट्टी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी तिल्दा जिला रायपुर छ०ग०**	**1- तिल्दा नेवरा 2. खरोरा**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का निराकरण करना। **05. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 20029/तीन-10-12/2001 चेकर बिलासपुर दिनांक 09.12.2024 एवं माननीय कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के पृष्ठांकन क्रमांक क ब/फ.12/2024 रायसपुर दिनांक 11 दिसम्बर 2024 के**

			परिपालन में आरक्षीकेन्द्र खरोरा से उदभुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण /परिवाद प्रकरण एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम से उदभुत प्रकरण का निराकरण करना। **06.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
39	**श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आरंग जिला रायपुर छ०ग०**	**आरंग**	**01.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। **02.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **03.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। **04.** आबंटित आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का निराकरण करना। **05.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।

// आवश्यक निर्देश //

(1) रायपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

(2) रायपुर मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

(3) **धारा 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट "ए"** के अनुसार दर्ज करेंगे।

(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत्** साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट "ए–1"** के अनुसार दर्ज करेंगे।

(5) "विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) के सुनवाई योग्य प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही दांडिक कार्य विभाजन आदेश में प्रदत्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जावेगा, जिसके थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित (आरक्षी केन्द्र) थाना/पुलिस चौकी द्वारा सामाग्री जप्त करने की कार्यवाही की गयी है/अपराध दर्ज किया गया है या परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा नामित किये जाने की दशा में उक्त न्यायिक मज़िस्ट्रेट द्वारा **एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985** के तहत् **जप्तशुदा सामाग्री की इन्वेंटरी** तैयार किया जावेगा तथा अन्य विभाग/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में संबंधित कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किये जाने पर की जावेगी।"

(6) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **खात्मा** प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट को आबंटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(7) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **खारिजी** संबंधी कार्यवाही **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर** द्वारा की जायेगी।

(8) **रेंज सायबर थाना एवं राज्य स्तरीय सायबर थाना द्वारा अन्य आरक्षी केन्द्र के अपराध में अन्वेषण किये जाने की दशा में उससे संबंधित सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।**

(9) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था **परिशिष्ट "बी"** में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(10) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो, वहाँ **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(11) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(12) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(13) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(14) यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

// परिशिष्ट "ए" //

धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना		
क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01.	02.	03.
01.	**श्री मयंक सोनी , विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)**	देवेन्द्र नगर, धरसींवा,
02.	**श्री अजय सिंह मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	पुरानी बस्ती, पंडरी
03.	**श्री क्रांति कुमार सिंह , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	खमतराई, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
04.	**कु. आकांक्षा बेक , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	गोलबाजार, अभनपुर,
05.	**श्रीमती गीता बृज , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	जी.आर.पी, आर.पी.एफ., राज्य सायबर थाना एवं पुलिस थाना सायबर रेंज रायपुर

06.	श्री गुरु प्रसाद देवांगन , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गंज, कबीर नगर, सी.बी.आई,
07.	श्री प्रवीण कुजूर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सरस्वती नगर, एंटी करेप्शन ब्यूरो ,
08.	कु. कृति कुजूर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आमानाका, आरंग, राजेन्द्र नगर
09.	श्री विवेक कुमार टंडन , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आजाद चौक, डी डी नगर,
10.	कु. दीक्षा देशलहरे , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सिटी कोतवाली, गुढियारी ,
11.	श्री विकास खाण्डे , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	महिला थाना, एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति थाना,
12.	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गोबरा नवापारा, राखी,
13.	श्रीमती सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	विधानसभा, मंदिर हसौद
14.	कु. मानसी बिष्ट , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	खरोरा, सितलरा
15.	श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	माना, तिल्दा नेवरा
16.	श्रीमती श्वेता ठाकुर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	खम्हारडीह, सिविल लाईन
17.	श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	तेलीबांधा, उरला
18.	श्री चोलुक्य यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	मुजगहन, (सेजबहार)
19.	कु. श्रद्धा भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	टिकरापारा
20.	कु. पायल मेरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	मौदहापारा ,

// परिशिष्ट "ए–1" //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत्, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करना**		
क्र.	**मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र**
01.	**02.**	**03.**
01.	**श्रीमती अनीता कोशिमा , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	जी.आर.पी., आर.पी.एफ, सिविल लाईन
02.	**कु. आकांक्षा बेक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	गंज, सी बी आई ,
03.	**कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	धरसींवा, तिल्दा नेवरा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
04.	**कु कृति कुजूर , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	डी.डी. नगर, पुरानी बस्ती, गुढियारी
05.	**कु.दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	गोबरा नवापारा, एंटी करप्शन ब्यूरो, खमतराई,
06.	**कु.सावित्री रक्सेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	सरस्वती नगर , अभनपुर,
07.	**कु. मानसी बिष्ट , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आयकर विभाग, राज्य सायबर थाना, रेंज सायबर थाना,
08.	**कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	मौदहापारा उरला कबीर नगर
09.	**कु. सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	महिला थाना/अनुसूचित जाति/जानजाति थाना, थाना देवेन्द्र नगर
10.	**कु. श्रद्धा भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	सिटी कोतवाली राजेन्द्र नगर आजाद चौक
11.	**कु. प्रति पालीवॉल् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	खरोरा आरंग

12.	**कु. पायल मेरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	पंडरी माना
13.	**श्रीमती साक्षी खन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	सिलतरा मंदिर हसौद
14.	**कु. भावना रिगरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	आमानाका , राखी
15.	**कु. अंजिता खुटे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	मुजगहन खम्हारडीह
16.	**कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	गोलबाजार, विधानसभा
17.	**कु.रीमा लकडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)**	तेलीबांधा टिकरापारा

// परिशिष्ट "बी" //

(1) राजस्व जिला रायपुर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुसार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत **दांडिक** प्रकरणों के निराकरण करने हेतु अधिकृत न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में निम्नानुसार वर्णित है–

क्रमांक	**अवकाश पर रहने वाले न्यायिक मजि. का नाम**	**सरल क्रमांक.2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम**	**सरल क्रमांक.3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम**	**सरल क्रमांक.4 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
01.	**श्री आनंद कुमार सिंह, न्यायिक मजि. रायपुर**	**श्री मोहम्मद जहांगीर तिगाला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. रायपुर**	**कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर**	**श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर**
02.	**श्री मोहम्मद जहांगीर तिगाला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. रायपुर**	**कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर**	**श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर**	**श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर**

03.	कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर	कु. आकांक्षा बेक न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
04.	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर	कु. आकांक्षा बेक न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अजय सिंह मीणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
05.	श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर	कु. आकांक्षा बेक न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अजय सिंह मीणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री गुरु प्रसाद देवांगन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
06.	कु. आकांक्षा बेक न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अजय सिंह मीणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री गुरु प्रसाद देवांगन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. कृति कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
07.	श्री अजय सिंह मीणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री गुरु प्रसाद देवांगन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु कृति कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विवेक कुमार टंडन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
08.	श्री गुरु प्रसाद देवांगन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. कृति कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विवेक कुमार टंडन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. मानसी बिष्ट न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
09.	कु. कृति कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विवेक कुमार टंडन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. मानसी बिष्ट न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चोलुक्य यादव न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर
10.	श्री विवेक कुमार टंडन न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. मानसी बिष्ट न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चोलुक्य यादव न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर
11.	कु. मानसी बिष्ट न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चोलुक्य यादव न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
12.	श्री चोलुक्य यादव न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. पायल मेरावी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
13.	कु. प्रज्ञा सिंह न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. पायल मेरावी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अर्पित अग्रवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
14.	कु. सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. पायल मेरावी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अर्पित अग्रवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. भावना रिगरी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
15.	कु. पायल मेरावी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री अर्पित अग्रवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. भावना रिगरी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी न्यायिक मजि.

				प्रथम श्रेणी रायपुर
16.	श्री अर्पित अग्रवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. भावना रिगरी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
17.	कु. भावना रिगरी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. खिलेश्वरी सिन्हा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
18.	श्री जितेन्द्र कुमार सोनवानी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. खिलेश्वरी सिन्हा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे , न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
19.	कु. चन्द्र किरण मानकर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. खिलेश्वरी सिन्हा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे , न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री मयंक सोनी, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट रायपुर छ०ग०

नोट- <u>दांडिक प्रकरण से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर सूची में उल्लेखित सरल क्रमांक के बढते क्रम में चक्रानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जावेगा ।</u>

(2) राजस्व जिला रायपुर में स्थित **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय के मध्य अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में निम्नानुसार वर्णित है–

धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित ईयरमार्क न्यायालय के संबंध में -

क्रमांक	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.4 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम
1.	2	3	4	5
01.	कु. गीता बृज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री क्रांति कुमार सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु श्वेता ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
02.	श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री क्रांति कुमार सिंह न्यायिक मजि. प्रथम	कु श्वेता ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री प्रवीण कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर

		श्रेणी रायपुर		
03.	श्री क्रांति कुमार सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु .श्वेता ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री प्रवीण कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विकास खाण्डे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
04.	कु श्वेता ठाकुर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री प्रवीण कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विकास खाण्डे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
05.	श्री प्रवीण कुजूर न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विकास खाण्डे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
06.	श्री विकास खाण्डे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. श्रद्धा भगत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
07.	कु. दीक्षा देशलहरे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. श्रद्धा भगत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
08.	श्रीमती सावित्री रक्सेल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. श्रद्धा भगत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रीति पालीवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
09.	कु. श्रद्धा भगत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री चन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रीति पालीवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती साक्षी खन्ना न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
10.	श्री चन्द्र प्रताप सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. प्रीति पालीवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती साक्षी खन्ना न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री सूरज राणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
11.	कु. प्रीति पालीवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती साक्षी खन्ना न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री सूरज राणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. अंजिता खुटे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
12.	श्रीमती साक्षी खन्ना न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री सूरज राणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. अंजिता खुटे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. रीमा लकडा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
13.	श्री सूरज राणा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. अंजिता खुटे न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	कु. रीमा लकडा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती गीता बृज न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर
14.	कु. अंजिता खुटे न्यायिक मजि. प्रथम	कु. रीमा लकडा न्यायिक मजि. प्रथम	श्रीमती गीता बृज न्यायिक मजि. प्रथम	श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजि. प्रथम

	श्रेणी रायपुर	श्रेणी रायपुर	श्रेणी रायपुर	श्रेणी रायपुर
15.	कु. रीमा लकडा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती गीता बृज न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री विवेक केरकेट्टा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री क्रांति कुमार सिंह न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर

नोट- परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर सूची में उल्लेखित बढते क्रम चक्रानुसार में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जावेगा ।

(03) इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–38** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **तिल्दा नेवरा, खरोरा** एवं **क्रमांक–39** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **आरंग** के अवकाश पर होने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर उनका अत्यावश्यक कार्य राजस्व जिला के मुख्यालय रायपुर में स्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को छोड़कर) कार्य विभाजन आदेश में उल्लेखित न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा किया जावेगा जो निम्नानुसार वर्णित है

बाहय न्यायालय के अन्तर्गत दांडिक कार्य से संबंधित -

क्रमांक	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम	सरल क्रमांक.4 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजि. का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री भावेश कुमार वट्टी , न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी तिल्दा जिला रायपुर	कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर
2	श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम , न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आरंग	कु. खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्रीमती अनीता कोशिमा रावटे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर	श्री मयंक सोनी विशेष रेल्वे मजि. रायपुर

नोट- वर्णित सूची में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर सूची में उल्लेखित सरल क्रमांक 03 से बढते क्रम में चक्रानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जावेगा ।

(04) दांडिक कार्य विभाजन आदेश के **परिशिष्टि बी– के कंडिका– 01** में उल्लेखित में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश के परिशिष्टि बी के कंडिका–02 में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(05) दांडिक कार्य विभाजन आदेश के **परिशिष्ट-बी के कंडिका क्र.02** में उल्लेखित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश के **परिशिष्टि-बी के कंडिका-01** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(06) उपरोक्तानुसार दर्शित अनुसार अवकाश पर होने पर क्रमानुसार अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जावेगी तथा जिन मामलों में साक्षी उपस्थित हुए हों, यदि संभव हो तो उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करेंगे। यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो उक्त साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद किया जाकर अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य पर वापस आने की तिथि से तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देना निर्धारित किया जावेगा तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(07) श्री सुरेश टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश कु जेनिफर लकडा अवकाश पर है। , इस संबंध में उनके कार्य पर उपस्थित होने पर पृथक से आदेश पारित किया जावेगा।

21/09/2026

(आनंद कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

21/09/26

Principal District And Sessions Judge
Raipur (C.G.)

न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक–क्यू/सी.जे.एम./2026, रायपुर, दिनांक 21.08.2026

प्रतिलिपि :–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(2) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(3) माननीय कु./श्री/श्रीमती जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कु./श्री/श्रीमती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) कलेक्टर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) पुलिस अधीक्षक, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, रायपुर कृपया सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, रायपुर को तत्संबंध में सूचित करें।

(7) आयुक्त, आयकर विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(8) आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(9) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(10) श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(11) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(12) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आसूचना निदेशालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(13) उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(14) जिला खाद्य अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(15) डी.एफ.ओ., वन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(16) जिला आबकारी अधिकारी, सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।

(17) प्रभारी, राज्य सायबर सेल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(18) जिला परिवहन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(19) सचिव, अधिवक्ता संघ, रायपुर/तिल्दा/खरोरा /आरंग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(20) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(21) कम्प्यूटर अनुभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

21/08/2026

(आनंद कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.)